□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2295
23 □□□म□□, 2020 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेज के प्रवेश म अति पिछड़ा वग को आरक्षण

2295. श्री टी॰आर॰ बालू॰:
श्री ए॰के॰पी॰ चिनराज:
श्री एस॰ जगतरक्षकन:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय के निणय का संज्ञान लिया है जिसम कहा गया है कि राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अखिल भारतीय कोटा से मेडिकल कॉलेज के प्रवेश म अपिव को आरक्षण प्रदान करने के म कोई बाधा नहीं है और पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कारवाई को गई है;

(ख) क्या प्रस्ताव को जांच के लिए किसी समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 2013 से मेडिकल कॉलेज म इस तरह के प्रवेश म अपिव को आरक्षण नहीं दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण ह और क्या सरकार का शैक्षणिक वष 2020-21 से आरक्षण प्रदान करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को एमबीबीएस और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों म प्रवेश पाने हेतु अपिव छात्रों को आरक्षण प्रदान करने के लिए किसी राज्य विशेषकर तमिलनाडु से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कारवाई को गई?

□त्त□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □त्री□ (श्री □□श्वे□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): माननीय मद्रास उच्च न्यायलय ने दिनांक 27.07.2020 के निणय के तहत वष 2020 को रिट याचिका संख्या 8324 म ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम बनाम भारत संघ एवं अन्य म निदेश दिया है कि अखिल भारतीय कोटा योजना म ओबीसी आरक्षण के कायान्वयन के संबंध म कारवाई करने हेतु एक समिति का गठन किया जाए जिसम कद्र से प्रतिनिधि मंडल, तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य सचिव तथा भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय डटल परिषद के सचिव सम्मिलित हों। माननीय उच्च न्यायलय के निदेशों के अनुपालन म दिनांक 07.09.2020 के आदेश के तहत एक समिति का गठन किया गया है।

(ग) से (ड.): माननीय सर्वोच्च न्यायालय (दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम मोतीलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज, इलाहबाद) के द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय कोटा स्कीम के अनुसार अखिल भारतीय कोटा म वष 1987 से एमबीबीएस और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम दोनों म कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षण संस्थाएं (प्रवेश म आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत देश को केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं म वष 2009 से ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण निर्धारित किया गया है। ऑल इंडिया कोटा यूजी/पीजी मेडिकल सीटों म ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के संबंध म सरकार ने सलोनी कुमारी एवं अन्य बनाम डीजीएचएस रिट याचिका सं.596/2015 म अखिल भारतीय कोटा म ओबीसी के लिए राज्य विशिष्ट आरक्षण को लागू करने का सुझाव देते हुए वष 2016 म माननीय सर्वोच्चय न्यायलय के निणय पर सक्रिय कारवाई को है।

******